सूचना का अधिकार, 2005 की धारा 4 (1) (ख) के अधीन प्रकटन		
भारत सरकार के उद्यम सैण्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लि. ने सूचना का अधिनियम, 2005 के अनुसार देश के नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए उपाय किए हैं। अन्य संगत धाराओं सहित सीआरडब्लूसी के सरकारी वैबसाइट में अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के अधीन प्रकाशित की जाने वाली सूचना।		
आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 4 (1) (ख)	आर.टी.आई. अधिनियम के अधीन अपेक्षाएँ	विवरण
(i)	संगठन का विवरण, कार्य तथा कर्तव्य	सैण्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लि. (सीआरडब्लूसी), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। कंपनी का गठन 10.07.2007 को किया गया तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 149 (3) के अधीन इसे 24.07.2007 को कार्य प्रारम्भ करने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। :- **कॉरपोरेट दूरदृष्टि :** व्यापार के लिए मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान कर लॉजिस्टिक लागत कम करने में भारतीय अर्थव्यवस्था को सम्बल प्रदान करना। **कॉरपोरेट लक्ष्य :** समस्त हितधारकों के लाभ के लिए लागत में कमी लाते हुए कुशल रेल आधारित संपूर्ण लॉजिस्टिक समाधान उपलब्ध करना। **कॉरपोरेट उद्देश्य :** 1. रेल से पट्टे पर ली गई अथवा अन्यथा अधिग्रहित भूमि पर रेलसाइड वेअरहाउसिंग कॉम्पलैक्स/टर्मिनल/ मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हबों की योजना बनाना, विकसित करना, अधिग्रहित करना तथा प्रचालित करना। 2. अत्याधुनिक वेअरहाउसिंग सुविधाएं प्रदान करना तथा कार्गो के रख--रखाव एवं परिवहन के क्षेत्र में प्रतियोगी विधियां सुलभ करना। 3. भारत तथा विदेश में मल्टीमॉडल परिवहन प्रचालनों को जारी रखना एवं घरेलू/आयात–निर्यात संचलन के लिए कार्गो को इकट्ठा करना/भेजना। 4. रेल आधारित लॉजिस्टिक द्वारा भारत तथा विदेश में सुचारू आपूर्ति श्रखंला प्रबंधन प्रणालियां प्रोन्नत करना तथा उपलब्ध कराना। **30.09.2018 कार्मिकों की संख्या इस प्रकार है :–** समूह–क 08 समूह–ख 47
(ii)	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य	कम्पनी के सुचारू संचालन के लिए विभागाध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए शक्ति–प्रत्यायोजन से शक्तियाँ ग्रहण करते हैं। सीआरडब्लूसी में विभिन्न स्तरों पर कार्मिक के पास सुपरिभाषित शक्तियाँ हैं।

(iii)	पर्यवेक्षण तथा उत्तरदायित्व के चैनलों सहित निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया	कम्पनी का समग्र प्रबंधन कम्पनी के निदेशक मंडल में निहित है। निदेशक मंडल कम्पनी में निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। सैण्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लि. सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते कम्पनी का निदेशक मंडल भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी है। कम्पनी का दिन–प्रतिदिन का संचालन प्रबंध निदेशक तथा कम्पनी के अन्य अधिकारियों में निहित है। निदेशक मण्डल ने प्रबंध निदेशक, विभागाध्यक्षों की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की हैं। उन्होंने शक्तियों के प्रत्यायोजन के माध्यम से आगे शक्तियों का प्रत्यायोजित की हैं। प्रबंध निदेशक तथा विभागाध्यक्ष अपने निर्णय लेने की शक्तियों का प्रयोग शक्ति–प्रत्यायोजन के अनुसार करते हैं। प्रबंध निदेशक, विभागाध्यक्ष तथा अन्य अधिकारी अपने कर्तत्यों तथा दायित्वों को सही ढंग से पूरा करने के लिए निदेशक मण्डल के प्रति उत्तरदायी है। जिन शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं किया गया है वे कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रतिबंधों तथा प्रावधानो के अधीन निदेशक मंडल द्वारा प्रयोग की जाती है।
(iv)	कार्य सम्पादन करने के लिए स्थापित किए गए मानक	कम्पनी के परिचालनो के सुचारू संचालन के लिए सैण्ट्रल रेलसाइड कम्पनी के अपने अन्तर्नियम तथा सुपरभाषित शक्ति–प्रत्यायोजन, निर्धारित नीतियाँ तथा दिशा–निर्देश, मैनुअलों नियमों एवं विनियमों लोक उद्यम विभाग के दिशा निर्देश, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देश अपने अन्तर्नियम एवं सुपरभाषित प्रक्रियाएं हैं।
(v)	कम्पनी के नियंत्राधीन अथवा कार्य करने के लिए अथवा कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियम, विनियम अनुदेश, मैनुअल तथा रिकार्ड	सैण्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लि. के पास काफी संख्या में निर्धारित नियम तथा मैनुअल हैं जिनके द्वारा संगठन शासित होता है :– 1. सीआरडब्लूसी_कार्मिक सेवा नियम, 2013. 2. सीआरडब्लूसी_यात्रा भत्ता नियम, 2012 3. सीआरडब्लूसी_भर्ती नियम, 2012 4. सीआरडब्लूसी_अवकाश नियम, 2012 5. सीआरडब्लूसी_अवकाश यात्रा रियायत नियम, 2012 6. सीआरडब्लूसी_आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम, 2012 आदि कम्पनी के कार्यो को सम्पादित करने के लिए उपलब्ध है।

(vi)	कम्पनी के पास अथवा उसके नियंत्रणाधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण	कम्पनी के पास अथवा उसके नियंत्रणाधीन कुछ दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है:– 1. कम्पनी के गठन संबंधी दस्तावेज क. ज्ञापन तथा संस्था के अन्तर्नियम 2. लेखों से संबंधी दस्तावेज क. लेखा बहियाँ ख. वार्षिक रिर्पोट तथा लेखे ग. लेखाकरण मैनुअल घ. आयकर काटने संबंधी दस्तावेज तथा स्रोत पर काटे गए आयकर संबंधी दस्तावेज ड. वाउचर आदि 3. कम्पनी के कार्यों से संबंधित दस्तावेज क. कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन सांविधिक रजिस्टर ख. कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन वार्षिक रिटर्न ग. कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत, कम्पनी पंजीयक के पास फाइल की गई रिटर्न तथा फार्म 4. बोर्ड की बैठकों तथा आम बैठकों से संबंधित दस्तावेज क. बोर्ड की बैठकों से संबंधित कार्य सूची ख. निदेशक मण्डल की बैठकों के कार्यवृत्तों की पुस्तिका
(vii)	सलाह देने अथवा प्रतिनिधित्व के लिए उपलब्ध जनता के सदस्यों द्वारा कम्पनी के नीति निर्माण अथवा इसके क्रियान्वयन के लिए व्यवस्था	सैण्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लि. एक वाणिज्यिक संस्था है। इसकी नीतियाँ आंतरिक प्रबंधन से संबंधित होती हैं। अतः जनता के सदस्यों के साथ सलाह लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी सभी नीतियाँ लागू विधियो, विनियमों आदि के अनुसार बनाई जाती हैं।
(viii)	बोर्डो, परिषद, समितियाँ तथा अन्य निकाय जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा गठित हैं तथा क्या सलाह देने के उन बोर्डो, परिषदों समितियों तथा अन्य निकायों के कार्यवृत्त जनता द्वारा देखेंने की स्वतंत्रता है अथवा इस प्रकार की बैठकों के कार्यवृत्तों तक जनता की पहुँच है।	कम्पनी प्रतिवर्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करती है जिसमें निदेशक मंडल तथा इसकी समितियों की कार्यप्रणाली सहित कॉरपोरेट गवर्नेस रिपोर्ट भी शामिल की जाती है। 1. वार्षिक रिपोर्ट **(https://www.crwc.in/CRWC/finances)** 2. निदेशक मण्डल **(https://www.crwc.in/CRWC/corp_prof/bod)**

(ix)	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका	**1.** प्रबंधन कॉर्पोरेट कार्यालय **(https://www.crwc.in/CRWC/corp_prof/management)** **2.** फील्ड अधिकारी **(https://www.crwc.in/CRWC/corp_prof/field_off)** **3.** सूचना का अधिकार **(https://www.crwc.in/CRWC/rti)**
(x)	प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी द्वारा मासिक पारिश्रमिक जिसमे विनियमों के अनुसार क्षतिपूर्ति प्रणाली भी शामिल की जाए।	लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कम्पनी के कार्मिकों का पारिश्रमिक शासित होता है। कम्पनी के अधिकारियों के वेतनमान उद्योगिक वेतनमानों के अनुसार है ***सैण्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लि., सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर के नीचे के कार्यकारी अधिकारियों के वेतनमानों का संसोधन*** *01.01.2017* ***से हुआ है।*** **(https://www.crwc.in/CRWC/pdfs/3623_001.pdf)**
(xi)	सब्सिडी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का तरीका जिसमें आबंटित राशि तथा इस प्रकार के कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण	कम्पनी पर लागू नहीं है।
(xii)	छूट, परमिट प्राप्तकर्ताओं का विवरण अथवा प्रदान किया प्राधिकार	कम्पनी पर लागू नहीं है।
(xiii)	इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में उपलब्ध/इकट्ठी की गई/ लघु रूप में रखी गई सूचना	कम्पनी व्यवसाय आचरण एवं नीति शास्त्र संबंधी संहिता, उद्देश्य आदि कम्पनी की वैबसाइट **https://www.crwc.in** पर उपलब्ध है।
(xiv)	पुस्तकालय अथवा रीडिंग रूप यदि जनता के प्रयोग के लिए है, उसके संबंध में कार्यालय समय तथा नागरिकों को उपलब्ध अन्य सुविधाओं का ब्यौरा	कम्पनी पर लागू नहीं है।
(xv)	जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य विवरण	यह सूचना कम्पनी की वैबसाइट **https://www.crwc.in** पर उपलब्ध है